

27 अए
6/1/17

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-1

सख्या- 24 / XVIII(1)/2017-02(21)/2016

देहरादून: दिनांक: 04 जनवरी, 2017

उत्तराखण्ड शासन

आयुक्त एच सीनध
राजस्व परिषद्
उत्तराखण्ड, देहरादून

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और पूर्व में इस निमित्त जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जिला उत्तरकाशी में "सांकरी" मुख्यालय के साथ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रामों से मिलकर "सांकरी" ज्ञात नाम से एक नई उप तहसील सृजित करने और विद्यमान तहसील मोरी की सीमा से उक्त ग्रामों को पृथक करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधिन्यायालय में, जिसने उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का-प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची


नवसृजित उप तहसील सांकरी में सम्मिलित तहसील मोरी के ग्रामों की सूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)/लेखपाल क्षेत्र का नाम
1	कोटगांव	कोटगांव
1.	सौड	
2.	सिदरी	
3.	सांकरी	
4.	दणगाणगांव	
5.	गंगाड	गंगाड
6.	ओसला	
7.	पंवाड़ी	
8.	ढाटमीर	
9.	जखोल	जखोल
10.	धारा	
11.	साँणी	
12.	सटुड़ी	
13.	सुनकुण्डी	
14.	पाव तल्ला	
15.	पाव मल्ला	
16.		

M

17.	सिरगा	
18.	कासला	
19.	लिवाडी	फिताडी
20.	राला	
21.	रेगचा	
22.	फिताडी	
23.	कलाप	नैटवाड


आज्ञा से,


(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव

संख्या- /XVIII(1)/2017 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव

संख्या- १५(१)/XVIII(1)/2017 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(जे०पी० जोशी)
अपर सचिव